74

C-FD 15/2

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००५ निगरानी

R 281-II/2005

श्री एस. के. अवस्थी एडवोकेट को प्रस्तुत।
द्वारा आज दि. 5/3/05

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

- 5 MAR 2005

१। राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्रीकृष्ण शर्मा
२। रामलखन पुत्र विधाराम शर्मा
निवासीगण ग्राम खुटियानी हार
तहसील जौरा, जिला मुरैना। म०प्र०
-- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१। राधेश्याम २। रामवरन पुत्रगण
श्री अमृतलाल
३। बृजमोहन पुत्र अमृतलाल नाबालिग
संरक्षक भाई स्वयं राधेश्याम पुत्र
श्री अमृतलाल
४। मुन्नीबाई पत्नी श्री ओमप्रकाश सरपंच
खुटियानी हार
सभी निवासीगण ग्राम खुटियानीहार
तहसील जौरा, जिला मुरैना, म०प्र०
— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, मुरैना दिनांक २४-०१-२००५ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भूराजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक १११/२००३-२००४ निगरानी।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

(२) यहकि आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 281–दो/2005 **जिला मुरैना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
28–11–2016	आवेदक अभिभाषक श्री डी0के0 दीक्षित उपस्थित। 2/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि इस प्रकरण में पूर्व से व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है इसलिए उक्त आदेश के तारतम्य में प्रकरण का निराकरण किया जाये। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं व्यवहार न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 27–7–2004 को आवेदकगण की निगरानी को आंशिक रूप से सहमत होते हुये तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रथम अपर जिला न्यायाधीश जौरा जिला मुरैना के प्रकरण कमांक अपील 1/2011 में दिनांक 14–8–2012 को निर्णय पारित किया गया है। व्यहवार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। आवेदक तहसील न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। व्यवहार न्यायालय के आदेश के कम में अग्रिम कार्यवाही की जाना है इसलिए इस न्यायालय से किसी प्रकार के निष्कर्ष निकाला जाना उचित न होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	